भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 564
12 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील शहरी नियोजन

564. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:
श्री आर. गिरिराजन:
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि भारत में शहरी नियोजन के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील न होने के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र और प्राकृतिक सौन्दर्य को होने वाले नुकसान में इजाफा हो रहा है;
(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क), (ख) और (ग): शहरी नियोजन राज्य का विषय है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यों के हस्तांतरण के अधीन है। भारत सरकार की इस मामले में केवल सलाहकार की भूमिका है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय परामर्शिकाएं और डिजाइन मानकों को जारी करके, योजनाबद्ध हस्तक्षेप और वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यावरण के प्रति संवेदनशील शहरी नियोजन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित परामर्शिकाएं जारी की हैं:

क. अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फोर्म्युलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश 2015
(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)
इन दिशानिर्देशों के अध्याय **6** में सुस्थिरता संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लेख है। खंड **6.6** में इको-फ्रेजाईल जोन में आयोजना के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

ख. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट **2021-30**
(https://www.mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/NMSH-2021.pdf)
इन दिशानिर्देशों के अध्याय **5** में शहरी आयोजना, ग्रीन कवर और जैव विविधता का उल्लेख है।

ग. मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज़ (एमबीबीएल)**-2016**
(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf)
एमबीबीएल के अध्याय **14** में जलवायु अनुकूल निर्माण का उल्लेख है।

घ. रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग दिशानिर्देश, 2021 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf)

3. शहरी जलाशयों का कायाकल्प अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) 2.0 का एक घटक है।

4. भारत सरकार ने 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-23' जारी की है। इस योजना में बारिश के पानी का संग्रहण, भंडारण, शोधन और इसे बचाने तथा जलाशयों के संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु 'स्पंज शहरों के निर्माण' के लिए उपयुक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।

*****